छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

क्रमांक..03.../वि.स./संपदा/2015 रायपुर, दिनांक..01-12-2015

//फेक्स एवं फोटोकॉपी मशीन क्रय हेतु निविदा //

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, फोटो कॉपी मशीन एवं कॉपी प्रिंटर (रीजोग्राफ) मशीन हेतु पंजीकृत प्रतिष्ठित फर्मो से दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 को सायं 3:00 बजे तक बाय बैक ऑफर के तहत निविदाएं आमंत्रित करता है । निविदा की विस्तृत शर्तें/जानकारी सचिवालय की संपदा शाखा से प्राप्त की जा सकती है अथवा विधानसभा सचिवालय की वेबसाइट www.cgvidhansabha.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

अपर सचिव ,

छत्तीसगढ़ विधानसभा .

// निविदा की शर्तें/जानकारी//

1. मशीनों की दरें प्रति नग समस्त कर सहित तथा दरों की वैद्यता अवधि उल्लेखित करते हुए देनी होगी ।

2. पुरानी मशीनों का अवलोकन कार्यालयीन समय पर सचिवालय की संपदा शाखा में किया जा सकता है ।

3. निविदाकर्ता डी.जी.एस. एण्ड डी. की दरें, यदि कोई हो तो, भी प्रस्तुत कर सकेगा ।

4. निविदाकर्ता को प्रस्तावित मशीन का ब्रोशर भी संलग्न करना होगा । फोटो कॉपी मशीन के लिये न्यूनतम रिसोल्यूशन 600 dpi, जूम 25-400, मेमोरी साईज 64 mb, ट्रे 2x500 + बायपास, कम्प्युटर कनेक्टिवीटी, ड्यूपलेक्स सुविधा, आटोमेटिक डाक्यूमेंट फीडर, एवं स्केनिंग की सुविधा होनी चाहिए ।

5. रिजोग्राफ मशीन (A4 Size) का न्यूनतम रिसोल्यूशन 400x400 dpi, जूम 50-200, पेपर ट्रे केपीसिटी 1000 शीट, प्रिटिंग स्पीड 120 ppm होनी चाहिए । साथ ही मशीन का सम्पूर्ण विवरण पृथक से प्रस्तुत करना होगा ।

6. मशीनों के वार्षिक रख-रखाव दर का पृथक उल्लेख करना होगा ।

7. मशीनों की गारंटी / वारंटी अवधि का उल्लेख करना होगा ।

8. यदि आवश्यक हुआ तो मशीनों का डेमो सचिवालय में स्वयं के व्यय पर करना होगा।

9. निविदाकर्ता का वाणिज्य कर पंजीयन अनिवार्य होगा ।

10. निविदाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2012 -13, 2013 -14 एवं 2014 -15 के आयकर गणना पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

11. अधिकृत विक्रेता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगी ।

12. मशीनों के संचालन का प्रशिक्षण सचिवालय के कर्मचारी को निशुल्क देना होगा ।

13. मुहरबंद निविदा के साथ अमानत राशि रूपये में राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक की राशि रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) की एफ.डी. (सावधि जमा) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर के नाम से देय संलग्न करना होगा । चयनित फर्म की एफ.डी. गारंटी/वारंटी अवधि के पश्चात् वापस की जाएगी ।

14. भावपत्र/प्रस्ताव एवं अमानत राशि की एफ0डी0 पृथक-पृथक लिफाफों में प्रस्तुत करनी होगी ।

15. लगभग 03 फोटोकॉपी मशीन एवं 01 कॉपी प्रिंटर (रिजोग्राफ-A4 Size) मशीन क्रय किया जाना विचाराधीन है । क्रय किये जाने वाली मशीनों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है ।

16. सचिवालय द्वारा क्रय आदेश प्रदाय की तिथि से अधिकतम 20 दिवस के अन्दर वांछित सामग्री सचिवालय में स्वयं के व्यय पर अनिवार्यतः पहुंचानी होगी ।

17. आदेशित सामग्री निर्धारित गुणवत्ता में निर्धारित समयावधि में प्रदाय न करने पर जमा की गई अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी ।

18. निविदा प्रस्ताव विधानसभा भवन स्थित अनुभाग अधिकारी, संपदा शाखा कक्ष क्रमांक-बी-7 के पास दिनांक 30 दिसम्बर, 2015 अपराह्न 3:00 बजे तक जमा किया जा सकता है । निर्धारित समय-सीमा के पश्चात प्राप्त निविदाएं मान्य नहीं होगी ।

19. निविदा को मान्य या अमान्य करने का प्राधिकार प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा को होगा ।

20. किसी विवाद पर निर्णय करने का संपूर्ण अधिकार अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर का होगा ।

--00--